सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 260/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :—08.12.2023

GCMS ID—2023/33

1. हनुमान आ0 प्रभूलाल जाति बैरागी निवासी कराडखेडी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मधु बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी हरिओम जाति बैरागी निवासी कराडखेडी हाल निवासी माल का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री अनिल गुर्जर
वकील अप्रार्थी :— परोकार सरकार।

दिनांक :— 07/02/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 77 खसरा संख्या 232, 233 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3517 हैक्टेयर वाके ग्राम कराडखेडी पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो प्रार्थी संख्या 1 की सहखातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। भूमि खाता संख्या 59 खसरा संख्या 316 रकबा 0.0243 गै0मु0चाह व खाता संख्या 57 खसरा संख्या 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 364 कुल किता 15 कुल रकबा 1.8858 हैक्टेयर वाके ग्राम कराडखेडी पटवार मण्डल चतरगंज में विस्थित है, जो प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण पिता प्रभूलाल जी थे जिनके अनेश व मनोहर बाई नाम के कोई पुत्र, पुत्री नहीं थे, प्रार्थीगण का नाम हनुमान व मधु है, लेकिन घर में प्रार्थीगण को बाल्यकाल अवस्था में अनेश व मनोहर बाई के नाम से भी जानते थे इसी कारणवश पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के पिताजी की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी हनुमान के स्थान अनेश व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में मधु के स्थान मनोहर बाई का इन्द्राज कर दिया उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र,

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीगण का नाम हनुमान व मधु दर्ज है तथा भूमि खाता संख्या 59 व 57 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम हनुमान ही दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण का नाम अनेश व मनोहर बाई दर्ज कर दिये जाने की बजह से प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे है। प्रार्थीगण का नाम हनुमान व मधु बाई है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी हनुमान व मधु ही नाम दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर भूमि खाता संख्या 72 में अनेश के स्थान पर हनुमान व भूमि खाता संख्या 59, 57 में मनोहर बाई के स्थान पर मधु दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 10.10.2023 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भमियों में अनेश व मनोहर बाई के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर हनुमान व मधु बाई दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम हनुमान व मधु बाई दर्ज करवावे। भूमि ग्राम कराडखेडी पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 77 खसरा संख्या 232, 233 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3517 हैक्टेयर वाके ग्राम कराडखेडी पटवार चतरगंज के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम अनेश के स्थान पर हनुमान व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खाता संख्या 59 खसरा 316 रकबा 0.0243 गै0मु0चाह व खाता संख्या 57 खसरा संख्या 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 364 कुल किता 15 कुल रकबा 1.8858 हैक्टेयर वाके ग्राम कराडखेडी पटवार मण्डल चतरगंज के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम मनोहर बाई के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर मधु बाई दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार अनेश व हनुमान एक ही व्यक्ति का नाम होने से अनेश के स्थान पर हनुमान व मनोहर बाई व मधुबाई एक महिला का नाम होने से मनोहरबाई के स्थान पर मधुबाई शुद्ध किया जाना उचित अंकित किया है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/3197 दिनांक :–13.11.2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम कराडखेडी के खाता संख्या 77 में अनेश के स्थान पर हनुमान व खाता संख्या 59, 57 में दर्ज मनोहरबाई के स्थान पर मधुबाई प्रार्थीगण दर्ज करवाना चाहते है। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों व सहखातेदारों में जानकारी करने पर बताया गया कि अनेश व हनुमान एक ही व्यक्ति का नाम होने से अनेश के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पर हनुमान व मनोहर बाई व मधुबाई एक महिला का नाम होने से मनोहरबाई के स्थान पर मधुबाई से उक्त शुद्धि किया जाना उचित बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण अनेश व हनुमान एक ही व्यक्ति का नाम होने से अनेश के स्थान पर हनुमान व मनोहर बाई व मधुबाई एक महिला का नाम होने से मनोहरबाई के स्थान पर मधुबाई जिन्हें मुताबिक प्रार्थना के दुरुस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी, जन–आधार कार्ड पत्र पेश किए है जिनमें प्रार्थीगण का नाम हनुमान, मधुबाई दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी में अनेश व मनोहर बाई अंकित हो रहा है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम कराडखेडी पटवार मण्डल चतरगंज के खाता संख्या 77 में दर्ज अनेश पुत्र प्रभू के स्थान पर हनुमान पुत्र प्रभू व खाता संख्या 59, 57 में दर्ज मनोहरबाई पुत्री प्रभू के स्थान पर मधुबाई पुत्री प्रभू शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 07.02.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया। 07/02/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446